98
15/4/15

संख्या–151/XXIV–नवसृजित/2015–07(2)/14

प्रेषक,

एस0 राजू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित देहरादूनः दिनाकः 13 अप्रैल, 2015

विषयः– प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, एल0टी0 एवं प्रवक्ताओं के अल्पकालीन रिक्त पदों पर नितान्त अस्थायी रूप से विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एल0टी0) एवं प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं, जिससे जहां एक ओर शैक्षिक कार्य प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर छात्र–छात्राओं के चहुंमुखी विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यद्यपि स0अ0 (एल0टी0) के 3089 एवं प्रवक्ताओं के 1213 रिक्त पदों पर चयन/नियुक्ति हेतु संबंधित चयन संस्थाओं को अधियाचन प्रेषित किये गये हैं, तथापि रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित चयन एक समयसाध्य प्रकिया है।

2– इसके अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के क्रम में विभिन्न विद्यालयों के उच्चीकरण के फलस्वरूप शैक्षिक संवर्ग के पद सृजित हुये हैं। साथ ही अधिकतर महिला शिक्षिकायें मातृत्व अवकाश/बाल्य देखभाल अवकाश मे रहने के कारण भी शैक्षिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यद्यपि छात्र हित में सम्बन्धित विद्यालयों में समायोजन की व्यवस्था की गयी है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छात्रहित एवं जनहित मे प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एल0टी0) एवं प्रवक्ताओं के अल्पकालीन रिक्त पदों को भरे जाने हेतु नितान्त अस्थायी रूप से विजिटिंग शिक्षकों की नियुक्तियां निम्न प्रकियानुसार की जायेगीः–

1. विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था हेतु सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे एक स्कीनिंग समिति निम्नवत् गठित की जायेगी–

(क) जिलाधिकारी– अध्यक्ष।
(ग) मुख्य शिक्षा अधिकारी– सदस्य सचिव।
(घ) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)– सदस्य।
(च) संबंधित जनपद के डायट का प्राचार्य– सदस्य।
(छ) उक्त समिति में यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई सदस्य न हो, तो इस जाति का एक अधिकारी सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

2. विजिटिंग शिक्षकों हेतु निर्धारित शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य अर्हताएं वही होगी, जो तत्समय शिक्षकों की नियमित नियुक्ति हेतु प्रचलित सेवा नियमावली में अवधारित हों।

3. विकासखण्ड स्तर पर अल्पकालिक व्यवस्था हेतु विजिटिंग शिक्षकों का एक पूल बनाया जायेगा, जो रिक्ति की संख्या का दो गुना तक हो सकता है। संबंधित विकासखण्ड में निवासरत अर्ह अभ्यर्थियों से विजिटिंग शिक्षक चयनित किये जायेंगे। रिक्तियों पर तात्कालिक व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू होगा। जनपद स्तर पर विजिटिंग शिक्षकों हेतु चिन्हित रिक्तियों के आधार पर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा विकासखण्डों हेतु रिक्तियां अवधारित की जायेंगी।

4. विजिटिंग शिक्षक हेतु ऐसे अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र होंगे, जिनका पंजीकरण उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में हों।

5. विजिटिंग शिक्षक हेतु आवेदन संबंधित विकासखण्ड में पंजीकृत डाक के माध्यम से किये जायेंगे। विकासखण्ड स्तर पर चयन हेतु संबंधित विकासखण्ड के उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा, जिसके सदस्य सचिव, खण्ड शिक्षा अधिकारी होंगे तथा जो मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदित होगा। विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर निम्नानुसार अर्ह अभ्यर्थियों की मेरिट/प्रवीणता सूची के आधार पर विकासखण्ड हेतु विजिटिंग शिक्षकों का पूल तैयार कर स्कीनिंग समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा:-

अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांकों का निर्धारण

(अ) स0अ0 एल0टी0-

(1) हाईस्कूल- $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत}}{10} \times \frac{1}{2}$

(2) इण्टरमीडिएट- $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत}}{10} \times \frac{1}{2}$

(3) स्नातक- $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत}}{10} \times 4$

(4) टी0ई0टी0-II $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत}}{10} \times 4$

(5) प्रशिक्षण (बी0एड0/एल0टी0)

(क) लिखित $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत}}{10} \times \frac{1}{2}$

(ख) कियात्मक $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत}}{10} \times \frac{1}{2}$

Scanned with CamScanner

(ब) प्रवक्ता–

(1) हाईस्कूल – $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत}}{10} \times \frac{1}{2}$

(2) इण्टरमीडिएट – $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत}}{10} \times \frac{1}{2}$

(3) स्नातक– $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत}}{10} \times 4$

(4) स्नातकोत्तर उपाधि $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत}}{10} \times 4$

(5) प्रशिक्षण (बी0एड0 / एल0टी0)

(क) लिखित $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत}}{10} \times \frac{1}{2}$

(ख) कियात्मक $\frac{\text{प्राप्तांकों का प्रतिशत}}{10} \times \frac{1}{2}$

किसी सत्र में अर्ह अभ्यर्थियों की कमी होने पर शासनादेश में वर्णित रीति से अनुपूरक सूची भी तैयार की जा सकती है।

6. अनुमोदित सूची से खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित करते हुए आदेश निर्गत किया जायेगा, जिसमें आरक्षण रोस्टर / प्रतिशत का पालन किया जायेगा तथा आरक्षित अभ्यर्थी की अनुपलब्धता पर सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी भेजा जा सकेगा। यदि खण्ड शिक्षा अधिकारी के आदेश के उपरान्त भी मेरिट के अनुसार कोई अभ्यर्थी सात दिन के अन्तर्गत आवंटित विद्यालय में व्यवस्था पर शिक्षण कार्य हेतु उपस्थित नहीं होता है, तो उसके स्थान पर पूल से मेरिट के आधार पर अन्य अभ्यर्थी को व्यवस्था पर भेजा जायेगा। विकासखण्ड के अन्तर्गत दुर्गम / Y–क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था किये जाने के उपरान्त ही सुगम / X–क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी। मेरिट के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रथम अवसर प्रदान करते हुए पूल सूची के विषय विशेष का एक चक्र पूरा होने के उपरान्त पुनः मेरिट के आधार पर ऐसे विजिटिंग शिक्षक, जो व्यवस्था पर कार्यरत नहीं है, उन्हें विद्यालय आवंटित किये जायेंगे, इस प्रकार तीन अवसर दिये जाने के उपरान्त भी विजिटिंग शिक्षक द्वारा आवंटित विद्यालय में योगदान नहीं दिया जाता है, तो उसका नाम पूल सूची से पृथक कर दिया जायेगा।

7. विद्यालय आवंटन के उपरान्त विजिटिंग शिक्षक को संबंधित संस्थाध्यक्ष द्वारा निर्धारित अनुबन्ध पत्र के अनुसार व्यवस्था पर अधिकतम एक शिक्षा सत्र अथवा यथास्थिति उससे न्यून नियत अवधि हेतु वर्णित रिक्त पद के सापेक्ष स्थानान्तरण / नियमित नियुक्ति होने, मातृत्व / बाल्य देखभाल अवकाश अथवा दीर्घावकाश से वापस आने तक, जो भी पहले हो, नियोजित किया जायेगा। पूल सूची से किसी विजिटिंग शिक्षक को एक सत्र की अवधि से अधिक अवधि हेतु अगले शिक्षण सत्र के दौरान नये सिरे से पुनः नियत अवधि हेतु अन्य विद्यालय में नियोजित किया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

8. विजिटिंग शिक्षकों की चयन की प्रकिया प्रथमवार एक माह के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जाय तथा भविष्य/आगामी शैक्षिक सत्र में शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने से एक माह पूर्व चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय।
9. स0आ0 एल0टी0 के पदों पर व्यवस्था पर रखे गये विजिटिंग शिक्षकों को प्रतिवादन रू0 125/– तथा प्रवक्ता पद पर रू0 150/– प्रतिवादन, किन्तु एक माह में अधिकतम रू0 15000/– मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
10. विजिटिंग शिक्षकों को एक पूर्ण शिक्षा सत्र में अधिकतम 15 आकस्मिक अवकाश ही अनुमन्य होंगे। इन अनुमन्य अवकाशों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अवकाश अनुमन्य नहीं होगा तथा अनुपस्थित अवधि के मानदेय की काटौती की जायेगी। एक शिक्षा सत्र से कम अवधि, परन्तु एक माह से अधिक अवधि हेतु नियोजित विजिटिंग शिक्षक को 1¼ दिन प्रति पूर्ण माह पर आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होगा। विजिटिंग शिक्षक को इस रूप में नियोजन के फलस्वरूप नियमित पद के सापेक्ष विनियमितीकरण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और इस आधार पर उसको नियमित नियुक्ति पाने अथवा नियुक्ति हेतु अधिमान का हक भी नहीं होगा।
11. महिला शाखा के विद्यालयों में केवल महिला अभ्यर्थी ही तथा सामान्य शाखा के विद्यालयों में महिला/पुरूष दोनों अभ्यर्थी भेजे जा सकेंगे।
12. विजिटिंग शिक्षक का कार्य संतोषजनक न पाये जाने, आदेशों का उल्लंघन करने अथवा अन्य कारण, जो विजिटिंग शिक्षक के रूप में उनके चयन अथवा उनके कृत्य के दृष्टिगत आपत्तिजनक हो, की दशा में संस्थाध्यक्ष की संस्तुति पर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विजिटिंग शिक्षक को व्यवस्था से पृथक कर दिया जायेगा।

भवदीय,

(एस0 राजू)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– / (1)/ XXIV--नवसृजित/2015–07(2)/14 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा,उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
7. अपर निदेशक शिक्षा (माध्यमिक) कुमायूँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
8. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) उत्तराखण्ड द्वारा–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
10. समस्त प्राचार्य, डायट, उत्तराखण्ड द्वारा–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

Scanned with CamScanner